

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 951/2022

अनवान : -

1. बनवारीलाल पुत्र गोपालराम जाति राईका साकिन मलवानी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. कृष्णकुमार पुत्र गोपालराम जाति राईका साकिन मलवानी तहसील नोहर।
2. धोलुराम पुत्र गोपालराम जाति राईका निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. मंगेराम पुत्र गोपालराम जाति राईका निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1, 3

निर्णय

दिनांक: 07/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि वाके रोही मौजा 3 बरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 293/245 की कुल 3.2680 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए इसलिए वादी मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 3 बरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 293/245 की कुल 3.2680 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की तरफ से श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते है वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः प्रतिवादी स0 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा एवं एवं अच्छी मंदी भूमि के हिसाब से मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ने भी वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

उपस्थित अधिकारी राहुल नोहर

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।


वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 293/245 की कुल 3.2680 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 कृष्ण कुमार पुत्र गोपालराम जाति राईका सा0 मलवानी राहिन एसबीआई शाखा रतनपुरा — प0न0 337/357 मु0न0 209 के किला न0 10/2 की 0.039 हैक्ट, 11-20-21 कुल किता 4 रकबा 0.798 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 बनवारीलाल पुत्र गोपालराम जाति राईका सा0 मलवानी प0न0 337/357 मु0न0 209 किला न0 1/2 की 0.013, 9/2 की 0.013, 9/3/2 की 0.089, 12/2 की 0.215, 19/2 की 0.215 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट रकबा 0.798 हैक्ट
- 3 धोलुराम पुत्र गोपालराम जाति राईका सा0 मलवानी राहिन एसबीआई शाखा फेफाना — प0न0 337/357 मु0न0 209 किला न0 18-23 की 0.506, 17/3/1 की 0.115 हैक्ट, 24/1 की 0.177 कुल रकबा 0.798 हैक्ट
- 4 मांगेराम पुत्र गोपालराम जाति राईका सा0 मलवानी — प0न0 337/357 मु0न0 209 किला न0 16/2 की 0.038 रास्ता, 16/3 की 0.152 हैक्ट, 17/2 की 0.013, 17/3/2 की 0.076, 25/2 की 0.038 आम रास्ता, 25/3 की 0.099, 1/3 की 0.124, 10/1 की 0.214, 9/3/1 की 0.035, 12/1 की 0.38, 19/1 की 0.038 रकबा 0.874 हैक्ट 0.798 हैक्ट बारानी प्रथम, 0.076 हैक्ट रास्ता

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 07/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 951/2022

अनवान : –

1. बनवारीलाल पुत्र गोपालराम जाति राईका साकिन मलवानी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. कृष्णकुमार पुत्र गोपालराम जाति राईका साकिन मलवानी तहसील नोहर।
2. धोलुराम पुत्र गोपालराम जाति राईका निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. मंगेराम पुत्र गोपालराम जाति राईका निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 2 सन 2018 निर्णय दिनांक 07/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 293/245 की कुल 3.2680 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 कृष्ण कुमार पुत्र गोपालराम जाति राईका सा0 मलवानी राहिन एसबीआई शाखा रतनपुरा – प0न0 337/357 मु0न0 209 किला न0 10/2 की 0.039 हैक्ट, 11-20-21 कुल किता 4 रकबा 0.798 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 बनवारीलाल पुत्र गोपालराम जाति राईका सा0 मलवानी प0न0 337/357 मु0न0 209 किला न0 1/2 की 0.013, 9/2 की 0.013, 9/3/2 की 0.089, 12/2 की 0.215, 19/2 की 0.215 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट रकबा 0.798 हैक्ट
- 3 धोलुराम पुत्र गोपालराम जाति राईका सा0 मलवानी राहिन एसबीआई शाखा फेफाना – प0न0 337/357 मु0न0 209 किला न0 18-23 की 0.506, 17/3/1 की 0.115 हक्ट, 24/1 की 0.177 कुल रकबा 0.798 हैक्ट
- 4 मांगेराम पुत्र गोपालराम जाति राईका सा0 मलवानी – प0न0 337/357 मु0न0 209 किला न0 16/2 की 0.038 रास्ता, 16/3 की 0.152 हैक्ट, 17/2 की 0.013, 17/3/2 की 0.076, 25/2 की 0.038 आम रास्ता, 25/3 की 0.099, 1/3 की 0.124, 10/1 की 0.214, 9/3/1 की 0.035, 12/1 की 0.38, 19/1 की 0.038 रकबा 0.874 हैक्ट 0.798 हैक्ट बारानी प्रथम, 0.076 हैक्ट रास्ता

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर